कार्यालय परियोजना निदेशक

राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना

(आर.यू.आई.डी.पी.)

राजस्थान, जयपुर

स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु दर संविदा दस्तावेज वर्ष 2022-23

(एक वर्ष के लिये)

ए.वी.एस. बिल्डिंग, जवाहर सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर - 302 017
दूरभाष : 2545831, 2721520 फैक्स : 2721919

प्रपत्र सारणी

क्र.सं.	विवरण
01	खुली बोली आमंत्रण सूचना
02	बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश
03	बोली डाटाशीट
04	बोली के प्रारूप
05	संविदा की शर्तें
06	संविदा प्रारूप
07	अपील
08	अपील का प्रारूप

CIN: U74999RJ2004SGC019961

RUIDP
Office of RUDSICO, External Aided Project (RUIDP)
Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd (RUDSICO)
Address: -AVS Building, Jawahar Circle, JLN Marg, Jaipur - 302017
Ph. – 141 2721966 Fax No. 141 2721919,
E-mail:- mail.ruidp@rajasthan.gov.in Website: -www.ruidp.rajasthan.gov.in

संख्याः प.4(1)पी.एम.यू/आरयूआईडीपी/स्टोर/2022/ 11685 दिनांकः 13/01/2022

बोली आमंत्रण सूचना/2022-23

(प्रपत्र 01)

आर.यू.आई.डी.पी. के जयपुर स्थित कार्यालय में एक वर्ष के लिए स्टेशनरी सामग्री (अनुमानित लागत राशि रूपये 3,00,000/-) दर संविदा हेतु एक वर्ष के लिये इच्छुक फर्मों (जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म ही आवेदन करें) से सील बन्द बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं। बोली शर्तों का अवलोकन कार्यालय की वैबसाईट एवं State Public Procurement Portel http://SPPP.raj.nic.in पर किया जा सकता है एवं बोली दस्तावेज को Download किया जा सकता है। शेष शर्तें बोली दस्तावेज अनुसार होगी। खुली बोली प्रपत्र दिनांक 24.01.2022 को 3.00 बजे तक प्राप्त कर एवं 24.01.2022 को 3.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के सम्मुख खोले जायेंगे।

उप परियोजना निदेशक (प्रशा0)

दर संविदा लगाने वालो के लिए अनुदेश

(प्रपत्र 02)

1. खुली बोली दस्तावेज शुल्क की राशि रुपये 300.00/- (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) नकद रसीद/बैंक ड्राफ्ट

2. अनुमानित लागत कुल राशि रू. 3,00,000/-मात्र लगभग

3. खुली बोली प्रतिभूति राशि रुपये 6000.00/- (अक्षरे रूपये छः हजार मात्र) परियोजना निदेशक आर.यू.आई.डी.पी. जयपुर के पक्ष में देय होगा।

4. निविदा दिनांक 26.11.2021 को मध्याह्न 3:00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन मध्याह्न 3:30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के सम्मुख खोली जाएगी।

5. दरें कार्यादेश जारी होने के बाद से एक वर्ष तक के लिए मान्य होंगी। पारस्परिक समझौते पर अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

6. सफल बोलीदाता को 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन राशि RTPP Act 2012 and RTPP rule 2013 के अनुसार जमा करानी होगी। उक्त राशि में बोली प्रतिभूति का समायोजन किया जा सकता है।

7. खुली बोली स्वीकृत कर लिए जाने के बाद यदि बोलीदाता दिए गए समय में स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उसकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

8. खुली बोलीदाता बोली स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/ हिस्से या सम्पूर्ण कार्य किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा।

9. राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना दिनांक ... एवं बोली सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्तें जो बोली पत्र के साथ संलग्न है, उनसे हम पूर्णतया सहमत है। हमारी स्वीकृति बतौर हमने शर्तों संबंधी सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

10. प्राप्त बोली में किसी बिन्दु पर जानकारी स्पष्ट नही होने की स्थिति में संबधित बोलीदाता को स्पष्टीकरण हेतु लिखा/बुलाया जा सकता है एवं स्पष्टीकरण उपरान्त विभाग किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकृत कर सकता है। जिसके के संबध में कोई स्पष्टीकरण जारी नही किया जावेगा।

11. खुली बोली निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जावेंगी। जो बोली निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी, उन्हे रद्द किया जा सकता है। खुली बोली की शर्ते तथा अन्य किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखी/प्राप्त की जा सकती है। उक्त बोली प्रस्ताव को बिना कारण बताए निरस्त/रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है तथा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जावेगा।

दर संविदा डाटा शीट

(प्रपत्र 03)

(A) **फर्म की स्थिति में**

1.	फर्म का नाम	
2.	स्थापना वर्ष	
3.	कार्यालय का पता	
4.	दूरभाष नंबर	
5.	फैक्स नंबर	
6.	ई-मेल	
7.	जयपुर स्थित कार्यालय का पता	
8.	अन्य संलग्न प्रमाण पत्र का विवरण (सेवा एवं कार्यानुभव)	
(B)	**व्यक्ति की स्थिति में**	
1.	व्यक्ति का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	पता	
4.	श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नंबर	
5.	रजिस्ट्रेशन में श्रमिक आपूर्ति की अधिकतम संख्या	
6.	रजिस्ट्रेशन माह एवं वर्ष	
7.	अन्य संलग्न प्रमाण पत्र मय विवरण	1.
	आयकर	2.
	सेवाकर	3.
	अन्य	4.
		5.
		6.

दर संविदा प्रारूप (प्रपत्र 04)

स्टेशनरी सामग्री सप्लाई हेतु दरें निम्नानुसार होंगी :-

क्र. सं.	सामग्री का नाम	मात्रा अनुमानित	इकाई	दर प्रति इकाई	जीएसटी (% में)	सीजीएसटी (% में)
1.	सेलो टेप 2 इंच (मयूर) 35 मीटर **(प्रति नग)**	30	नग			
2.	सेलो टेप 1 इंच (मयूर) 35 मीटर **(प्रति नग)**	50	नग			
3.	फाइल लैस (24 इंच) **(प्रति पैकेट-24)**	50	पैकेट			
4.	गोंद ट्यूब (कैमलीन) 30 एम.एल **(प्रति नग)**	50	नग			
5.	परमानेन्ट मार्कर **(प्रति पैकेट-10)**	5	पैकेट			
6.	पोस्ट इट (रंगीन) (तीन रंग) (डैसमेट) 80 **(प्रति पैकेट)**	150	पैकेट			
7.	पेन्सिल **HB (प्रति पैकेट-10)**	5	पैकेट			
8.	टैग **(प्रति पैकेट)**	10	पैकेट			
9.	जेबरा क्लिप पैकिट (35एमएम) **(प्रति पैकेट-100)**	30	पैकेट			
10.	पंचिंग मशीन (कंगारू) (280 नम्बर) **(प्रति नग)**	10	नग			
11.	स्लिप पैड (स्पाइरल) (नील गगन) (40 शीट) **(प्रति पैकेट-10)**	50	पैकेट			
12.	स्टेम्प पैड (छोटा) प्लास्टिक (अशोका) **(प्रति नग)**	12	नग			
13.	स्टेपलर 10 नं. (कंगारू) **(प्रति नग)**	20	नग			
14.	स्टेपलर पिन 10नं. (कंगारू) **(प्रति पैकेट-20)**	30	पैकेट			
15.	व्हाइटर करेक्शन पैन (कोरस) **(प्रति पैकेट-10)**	20	पैकेट			
16.	प्लास्टिक फोल्डर-एल टाईप **(प्रति पैकेट-12)**	60	पैकेट			
17.	हाइलाइटर (फेबर क्रिस्टल) **(प्रति पैकेट-10)**	30	पैकेट			
18.	फोटोस्टेट रिम (**A-3 JK Red**) (75 gsm) (प्रति पैकेट 10)	10	पैकेट			
19.	फोटोस्टेट रिम (**A-4 JK Red**) (75 gsm) (प्रति पैकेट 10)	300	पैकेट			
20.	फोटोस्टेट रिम (**Legal JK Red**) (75 gsm) (प्रति पैकेट 10)	25	पैकेट			
21.	फेविस्टिक (पिडिलाइट) (8 ग्राम) ग्रीन **(प्रति नग)**	50	नग			
22.	पैन पायलेट **V-5 (प्रति पैकेट)**	100	नग			
23.	पैन पायलेट **V-7 (प्रति पैकेट)**	200	नग			
24.	पैन जैटर (एरो साफ्ट) रेनोल्डस **(प्रति पैकेट)**	500	नग			
25.	पैन सामान्य (Flair, Ezee-click)	200	नग			
26.	एड जैल पैन	100	नग			

नोटः सभी दरें जीएसटी रहित अंकित करनी है। वर्तमान में जीएसटी व एसजीएसटी दरों का उल्लेख करना है। मय कार्यालय नाम वाली सामग्री का प्रारूप कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा।

क्र.सं.	विवरण	राशि	राशि जमा कराने का प्रकार	संख्या एवं दिनांक
01	बोली दस्तावेज की शुल्क की राशि	300/-		
02	बोली प्रतिभूति राशि	6000/-		

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय सील (फर्म की स्थिति में)
पताः-

संविदा की सामान्य एवं विशेष शर्ते
(प्रपत्र 05)

1. टेण्डर निर्धारित प्रपत्र, सील बन्द लिफाफे में, जो कि विभाग से जारी किया हुआ हो, दो लिफाफो में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रथम लिफाफे में ईएमडी व हस्ताक्षरित निविदा शर्ते संलग्न करें व द्वितीय लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव डाले। प्रथम लिफाफे में उल्लेखित दस्तावेज होने पर ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जायेगा।
2. टेण्डर के सभी प्रपत्र के अनुलग्नक पर बोलीदाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होने चाहिए।
3. खुली बोली में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कटिंग हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर अनिवार्य है।
4. खुली बोली विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर दी जानी है। निर्धारित प्रपत्र में किसी प्रकार के संशोधन के साथ दी गई बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने के परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर को पूर्ण अधिकार होंगे।
5. खुली बोली देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ पृथक से संलग्न की जायेः
   (1) यदि एकल स्वामित्व की है तो स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
   (2) यदि भागीदारी का है - भागीदारी डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र तथा सभी भागीदारों के पूर्ण नाम एवं पते।
   (3) यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एसोसियेटस् तथा सभी डाईरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
6. खुली बोली के साथ फर्म के लाभ के लिए यदि जानबूझकर कोई गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलत सूचना के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं ऐसी बोली को परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर को किसी भी स्तर व समय पर निरस्त करने के अधिकार होंगे।
7. खुली बोली प्रपत्र में अंकित दस्तावेज विभाग के मांगने पर मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
8. परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर को किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा उक्त के कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्व से विभाग को कोई सरोकार नहीं होगा।
9. न्यूनतम दरों वाली बोली को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है और ऐसी स्थिति में कोई भी बोलीदाता इस हेतु किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
10. खुली बोली स्वीकार होने की दशा में बोलीदाता को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में करार निस्पादित करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत नही करने पर अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. खुली बोली स्वीकार होने की दशा में विभाग के साथ फर्म के होने वाले कान्ट्रेक्ट की पालना के लिए बोलीदाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
12. स्वीकृत बोली के खुली बोलीदाता को कुल कार्य की राशि का पांच प्रतिशत (5%) प्रतिभूति के रूप में जमा करवाना होगा। प्रतिभूति रोकड़, स्थाई जमा रसीद, पोस्ट ऑफिस, बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
13. खुली बोली के साथ बोलीदाता को नियमानुसार निर्धारित राशि अमानत के रूप में जमा करानी होगी। अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा तभी बोली स्वीकार की जाएगी।
    (1) अमानत राशि बोलीदाता को बोली की अस्वीकृति पर लौटाई जाएगी।
    (2) खुली बोली स्वीकृत होने की दशा में अमानत राशि संबंधित बोलीदाता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा कराने पर नियमानुसार लौटाई/ समायोजित की जा सकेगी।

14. खुली बोली स्वीकृत कर लिए जाने के बाद यदि बोलीदाता दिए गए समय में माल सप्लाई नहीं कर पाता है या प्रतिभूति राशि जमा नहीं करा पाता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
15. खुली बोलीदाता बोली स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/ हिस्से या सम्पूर्ण कार्य किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा।
16. संविदा अवधि में संविदा के दोनों पक्षों बोलीदाता एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर के मध्य यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर या उनके मनोनीत व्यक्ति मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थती वार्ता में दोनों पक्ष अपना एक-एक प्रतिनिधि भेज सकेंगे। मध्यस्थता में दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
17. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर स्थित कार्यालय/ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
18. अंकेक्षण के दौरान यदि बोलीदाता के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया निकाली जाती है तो उसकी पूर्ति उसके द्वारा की जावेगी, नहीं किए जाने की दशा में प्रतिभूति राशि से समायोजित की जावेगी।
19. खुली बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली माल की सप्लाई परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर के अनुसार संतोषजनक होनी चाहिए।
20. खुली बोलीदाता द्वारा माल परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा मांग किए जाने पर उपलब्ध कराना होगी।
21. सभी शर्तों की पालना बोलीदाता द्वारा की जावेगी, उनके द्वारा यदि किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो अनुबन्ध किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है एवं जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
22. खुली बोलीकर्ता को बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर बोली को निरस्त कर सकने का अधिकार होगा।
23. खुली बोलीदाता को जो आइटम सप्लाई करने है उनका विवरण संलग्न पत्र में दिया गया है। बोली प्रपत्र में दिये गये सभी आईटम्स अथवा उनमें से कुछ के लिए स्वीकृत की जा सकती है। यह आवश्यक नहीं कि सभी आइटम्स के लिए एक पार्टी की बोली स्वीकृत की जाये।
24. दर इकाई में किसी भी परिस्थिती में परिर्वतन न करे।
25. निरस्त किये गये माल को बोलीदाताओ द्वारा उक्त माल के निरस्त होने की सूचना मिलने के सात दिन की अवधि में सप्लाई किये गये स्थान से उठा ले जाना होगा। निरस्त किये माल में किसी प्रकार के नुकसान, कमी टूट-फूट आदि जो वहां पर माल पड़े रहने के दौरान अगर हो जाये तो उसके सम्बन्ध में परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
26. दरें एफ.ओ.आर. कार्यालय तक दी जानी चाहिये। दरें जीएसटी एवं एसजीएसटी जोड़े बिना देनी हैं तथा वर्तमान में जीएसटी एवं एसजीएसटी की प्रचलित दरों का उल्लेख प्रतिशत में करना है। सप्लाई के समय प्रचलित टेक्स की दर में राशि जोड़ते हुए बिल प्रस्तुत करना होगा।
27. खुली बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकृत हुई है उसे आदेश देने कि तारीख से अधिक से अधिक सात दिन की अवधि में माल की सप्लाई करनी होगी। परन्तु आवश्यकता होने पर उसे पहले भी सप्लाई मांगी जा सकती है। क्रयादेश की अवधि में सप्लाई नही होने पर जी.एफ एण्ड ए.आर के तहत एल.डी. लगाई जा सकेगी।
28. सामान आपुर्ति हो जाने एवं स्वीकार कर लिये जाने पर ही भुगतान देय होगा। किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
29. परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर को अधि होगा कि वह किसी भी बोली को मान्य करे। विभाग बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को अस्वीकृत (रिजेक्ट) कर सकता है।

30. खुली बोलीदाता अथवा उनके प्रतिनिधियो की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की अवाछित गतिविधि के फलस्वरूप उनकी बोली अमान्य कर दी जावेगी।
31. खुली बोली प्रपत्र में भरी गयी दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के नियम या अन्य शर्ते मान्य नही होगी।
32. खुली बोली स्वीकार होने पर बोलीदाता को निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र भरना होगा। अनुबन्ध पत्र के साथ 500/-रूपये का नोन ज्यूडीशियल स्टाम्प लगाना होगा।
33. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की किस्म एवं गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए यदि सामग्री निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होगी तो उसे स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
34. यह संविदा दर अनुबन्ध अनुसार है। आरयूआईडीपी द्वारा योग्य एवं न्यूनतम निविदा फर्म से सर्वप्रथम दर अनुबन्ध किया जायेगा। आरयूआईडीपी द्वारा आवश्यकता होने पर समय-समय पर निविदा फर्म को उनके द्वारा अंकित दरों अनुसार कार्यादेश दिया जायेगा जिसकी निविदा फर्म द्वारा सात दिवस में आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
35. निविदादाता द्वारा अंकित की गई दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी जिसे आपसी सहमति के आधार पर तीन माह हेतु बढाया जा सकता है।
36. यह आवश्यक नही है कि आरयूआईडीपी द्वारा प्रपत्र-4 में अंकित सामग्री की मात्रा आवश्यक रूप से क्रय करनी होगी। आरयूआईडीपी में मांग न होने की स्थिति में सामग्री नही ली जावेगी। इस बाबत फर्म द्वारा कोई क्लेम मान्य नही होगा।
37. यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान देने के लिए उसकी कीमत / कोट कम करता है तो दर संविदा के अधीन उस सामान या माल की दर संवेदक कीमत कम करने या कोट करने की दिनांक से स्वतः कम जो जाएगी व दर संविदा तदनुसार संशोधित की जाएगी।
38. सभी दरें जीएसटी रहित अंकित करनी है। वर्तमान में जीएसटी व एसजीएसटी दरों का उल्लेख करना है।
39. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी रूल्स 2013 के प्रावधान दर संविदा पर लागू होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

संविदा प्रारूप
(प्रपत्र 06)

यह अनुबन्ध आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष .... और द्वितीय पक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर के मध्य सम्पादित किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा अनुबन्ध पर .... स्टेशनरी सामग्री निम्नलिखित दरों एवं शर्तों के अनुसार द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायें जावेगें:

क्र. सं.	सामग्री का नाम	मात्रा अनुमानित	इकाई	दर प्रति इकाई	जीएसटी (% में)	सीजीएसटी (% में)
1.	सेलो टेप 2 इंच (मयूर) 35 मीटर **(प्रति नग)**	30	नग			
2.	सेलो टेप 1 इंच (मयूर) 35 मीटर **(प्रति नग)**	50	नग			
3.	फाइल लैस (24 इंच) **(प्रति पैकेट-24)**	50	पैकेट			
4.	गोंद ट्यूब (कैमलीन) 30 एम.एल **(प्रति नग)**	50	नग			
5.	परमानेन्ट मार्कर **(प्रति पैकेट-10)**	5	पैकेट			
6.	पोस्ट इट (रंगीन) (तीन रंग) (डैसमेट) 80 **(प्रति पैकेट)**	150	पैकेट			
7.	पेन्सिल **HB (प्रति पैकेट-10)**	5	पैकेट			
8.	टैग **(प्रति पैकेट)**	10	पैकेट			
9.	जेबरा क्लिप पैकिट (35एमएम) **(प्रति पैकेट-100)**	30	पैकेट			
10.	पंचिंग मशीन (कंगारू) (280 नम्बर) **(प्रति नग)**	10	नग			
11.	स्लिप पैड (स्पाइरल) (नील गगन) (40 शीट) **(प्रति पैकेट-10)**	50	पैकेट			
12.	स्टेम्प पैड (छोटा) प्लास्टिक (अशोका) **(प्रति नग)**	12	नग			
13.	स्टेपलर 10 नं. (कंगारू) **(प्रति नग)**	20	नग			
14.	स्टेपलर पिन 10नं. (कंगारू) **(प्रति पैकेट-20)**	30	पैकेट			
15.	व्हाइटर करेक्शन पैन (कोरस) **(प्रति पैकेट-10)**	20	पैकेट			
16.	प्लास्टिक फोल्डर-एल टाईप **(प्रति पैकेट-12)**	60	पैकेट			
17.	हाइलाइटर (फेबर क्रिस्टल) **(प्रति पैकेट-10)**	30	पैकेट			
18.	फोटोस्टेट रिम (**A-3 JK Red**) (75 gsm) **(प्रति पैकेट 10)**	10	पैकेट			
19.	फोटोस्टेट रिम (**A-4 JK Red**) (75 gsm) **(प्रति पैकेट 10)**	300	पैकेट			
20.	फोटोस्टेट रिम (**Legal JK Red**) (75 gsm) **(प्रति पैकेट 10)**	25	पैकेट			
21.	फेविस्टिक (पिडिलाइट) (8 ग्राम) ग्रीन **(प्रति नग)**	50	नग			
22.	पैन पायलेट **V-5 (प्रति पैकेट)**	100	नग			
23.	पैन पायलेट **V-7 (प्रति पैकेट)**	200	नग			
24.	पैन जैटर (एरो साफ्ट) रेनोल्डस **(प्रति पैकेट)**	500	नग			
25.	पैन सामान्य (Flair, Ezee-click)	200	नग			
26.	एड जैल पैन	100	नग			

अन्य सभी शर्तें बोली दस्तोवज में अंकितानुसार होगी जो कि इस अनुबन्ध का भाग है।

संलग्न : बोली दस्तावेज।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

1. साक्षी-प्रथम
2. साक्षी द्वितीय

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

कार्यालयाध्यक्ष
आर.यू.आई.डी.पी.,जयपुर

1. साक्षी-प्रथम
2. साक्षी द्वितीय

अपील
(प्रपत्र 07)

1. **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के तहत** :-

प्रथम अपील अधिकारी-	सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि
द्वितीय अपील अधिकारी-	सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि होगे।

2. **अपील का प्रारूप** :-

   1. धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियो के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।
   2. प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
   3. प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** :-

   (i) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पॉच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिये दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

   (ii) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

अपील प्रारूप
(प्रपत्र 08)

फार्म नंबर-1
(नियम 83)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

....अपील संख्या...

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी)...के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियॉं :
   1. अपीलार्थी का नाम :
   2. कार्यालय का पता, यदि कोई हो :
   3. आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियो) का नाम और पता :
   1.
   2.
   3.
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्व अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करे) या अधिनियम के उपबंधो के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिऐ प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पताः
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथ पत्रो और दस्तावेजो की संख्या
6. अपील का आधार :

....

....

....

.... (शपथ पत्र द्वारा समर्थित)